कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक -3718 / 14–4–4 बाराबंकी,दिनांक-24/03 /2022

सेवा में,

प्रबन्धक टोरेन्ट गैस
प्राईवेट लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर
लखनऊ

विषयः– मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत NATURAL GAS PIPE LINE बिछाये जाने हेतु लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग एन0 एच0–56 (नया–731) के चैनेज–54.86 से 64.00 के मध्य दांयी पटरी पर प्रभावित 0.4562 हे0 संरक्षित वन भूमि तथा हैदरगढ–भिटरिया मार्ग के किमी 0.00 से 11.23 के मध्य बायीं पटरी पर प्रभावित 0.5516 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल–1.0078 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
Proposal No- FP/UP/Pipeline/123162/2021

सन्दर्भः– उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के कार्यालय का पत्रांक–पी–14/81–2–2020–800 (31)/2022 दिनॉक 23–03–2022।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है जिसमें उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक–पी–14/81–2–2020–800 (31)/2022 दिनॉक 23–03–2022 से विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–17 के अनुपालन हेतु धनराशि का आंकलन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	शर्त संख्या	मद	धनराशि (रू0 में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3		5
1	17	1.0078 हे0 संरक्षित वन भूमि का भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 06–01–2022 तथा पत्रांक–संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 22–03–2022 के अनुसार संशोधित (N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि (रू0 9.57780 लाख प्रति हे0)।	965251.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
		योग–	**965251.00**	
				(रू0–नौ लाख पैंसठ हजार दो सौ इक्यावन मात्र)

अतः उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–17 के अनुपालन में 1.0078 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0–965251.00 **(रू0–नौ लाख पैंसठ हजार दो सौ इक्यावन मात्र) प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से** प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा फण्ड) में जमा करने का कष्ट करें तथा उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–23–03–2022 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या–1 से 21 तक की अनुपालन आख्या तथा आवश्यक प्रमाण पत्र, ई–चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि की मूल प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र पॉच–पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

निर्धारित प्रपत्र

Conditions No.	Conditions	Status of compliance

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

दिनेश कुमार/–

Scanned with CamScanner